संख्या– 4948 / 17–म–2005–5(69) / 81

प्रेषक,

देवेन्द्र चौधरी
सचिव,
उत्तर–प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 16 जनवरी, 2006

विषयः– मत्स्य विभाग के अधीन आने वाले श्रेणी–तीन व चार के जलाशयों की प्रबन्ध व्यवस्था हेतु नीति–निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रसंख्या–315 / स्था0शा0 / दिनांक 28.10.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र द्वारा शासनादेश संख्या 765 / 57–म–2000–5(69) / 81, दिनांक 08 मार्च, 2000 के प्रस्तर 4 जिसमें यह व्यवस्था है कि "जलाशयों की खुली नीलामी के प्रथम चक्र में केवल पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के बीच ही नीलामी की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। वांछित धनराशि न प्राप्त होने की दशा में द्वितीय नीलामी में मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के साथ–साथ ठेकेदारों को भी सम्मिलित किया जाएगा। ठेका उच्चतम बोली बोलने वाले ठेकेदार / समिति को दिया जायेगा तथा प्रथम वर्ष की बोली को आधार मानते हुए आगामी वर्षो में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी", इस प्रक्रिया में आंशिक संशोधन करते हुए मत्स्य विभाग के अधीन आने वाले श्रेणी तीन व चार के जलाशयों की प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निम्नवत नीति निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1. नीलामी के प्रथम चक्र में सम्बन्धित जलाशय के भौगोलिक क्षेत्र में पड़ने वाली गांव सभा / गांव सभाओं तथा सम्बन्धित विकास खण्ड की पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समितियॉ एवं स्वयं सहायता समूह ही केवल भाग लेगे।
2. नीलामी के द्वितीय चक्र में सम्बन्धित उपरोक्त क्रमाक–1 के साथ–साथ जलाशय के भौगोलिक क्षेत्र में पड़ने वाली तहसील एवं जनपद स्तर की पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समितियॉ भी केवल भाग ले सकेगी।
3. तृतीय चक्र में नीलामी से सम्बन्धित उपरोक्त क्रमांक 1 व 2 के साथ–साथ मण्डल स्तर की पंजीकृत मत्स्य जीवी समितियां भी भाग ले सकेगी।
4. चतुर्थ चक्र में प्रदेश की कोई भी पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समिति भाग ले सकेगी।
5. जलाशय का आरक्षित मूल्य प्राप्त न होने की दशा में पांचवे चक्र में मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के साथ ठेकेदारों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

उपरोक्त नीलामी प्रक्रिया में निंम्न प्रक्रिया भी प्रभावी होगी।

(क) प्रथम वर्ष की बोली को आधार मानते हुए आगामी वर्षो में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी।

(ख) मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का तात्पर्य ऐसी मत्स्य जीवी सहकारी समिति से होगा जो उक्त सहकारी अधिनियम 1965 के सहकारी समिति नियमावली 1968 के अन्तर्गत पंजीकृत व मत्स्य विभाग से नीलामी की बोली बोलने के दिनांक को विधि सम्मत मान्यता प्राप्त हो।

(ग) स्वयं सहायता समूह से तात्पर्य जलाशय क्षेत्र के गांव सभा/गांव सभाओं के ऐसे स्वयं सहायता समूह से है, जो मत्स्य पालन से सम्बन्धित ग्राम्य विकास विभाग में सक्षम स्तर से पंजीकृत हो एवं उनकी द्वितीय ग्रेडिग हो।

भवदीय
ह0/
(देवेन्द्र चौधरी)
सचिव

संख्या– 4948/सत्रह–म–2005–5(69)/81 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर–प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर–प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर–प्रदेश।
4. निबंधक, सहकारी समितियां, उ0प्र0।
5. प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, लखनऊ।
7. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
8. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9. समस्त उप विकास आयुक्त, उत्तर–प्रदेश।
10. समस्त मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य, उत्तर–प्रदेश।
11. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर–प्रदेश।
12. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर–प्रदेश।
13. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उत्तर–प्रदेश।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ह0/
(अनिल कुमार सागर)
विशेष सचिव